(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3914–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–15 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील बदनावर जिला धार प्रकरण कमांक 13/अ–13/2014–15.

1– इशाक पिता गुल मोहम्मद
2– सत्तार पिता गुल मोहम्मद
3– दिलावर पिता गुल मोहम्मद
निवासीगण ग्राम नागौरा
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

अस्कर पिता नबीबक्ष नायता
निवासी ग्राम नागौर
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
मोहम्मद खालिद खान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील बदनावर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नागौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 401/2 आवेदक एवं 401/3 उसके भाई अनवर के मालिकी हक की है । अनावेदक भूमि पर आने–जाने हेतु बाहीवटी (रूढ़िगत) मार्ग का उपयोग करता था, किन्तु उक्त रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर

दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 23–11–15 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक की ओर से उसके भाई अनवर की कृषि भूमि के रास्ते के संबंध में आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है, परन्तु उसे अनावेदक द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि अनावेदक को उसके भाई अनवर की तरफ से कार्यवाही करने के लिए अधिकृत नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का बटान हो चुका है, और अन्य लोग भी भूमिस्वामी हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था।

(3) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर रास्ता खुलवाया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(4) अनावेदक के लिए दक्षिण दिशा से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका वह उपयोग करता रहा है ।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खोले जाने का आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा दिनांक 17–9–2015 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता आवेदकगण की भूमि में से होने के कारण नक्शे में प्रदर्शित नहीं है, इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन मार्ग, रूढ़िगत रास्ता नहीं है । दिनांक 16–10–2015 को भी स्थल निरीक्षण किया गया है, उसमें भी सर्वे कमांक 396 में प्रश्नाधीन रास्ते के निशानात नहीं पाये गये हैं । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । स्थल पंचनामा को देखने से यह भी स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न फोटोग्राफ से भी स्पष्ट होता है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं होकर आवेदकगण की फसल खड़ी है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश देने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर